कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड पन्ना, म0प्र0

संक्षिप्त निविदा आमंत्रण सूचना क0 25/12–13 दिनांक : 26–9–2012

मुहरबंद निविदायें प्रपत्र "अ" पर मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित कार्यो के लिए दिनांक 16–10–2012 को समय 3.00 बजे शाम तक आमंत्रित की जाती है । निविदाएं उसी दिन 3.30 बजे शाम को उपस्थित ठेकेदार या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी । निविदा प्रपत्र दिनांक 15–10–2012 तक कार्यालय समय में प्राप्त किए जा सकते हैं । निविदा प्राप्त करने की पात्रता उन्हीं निम्न कार्य से संबंधित जीवित पंजीकृत भूजल विदों को होगी, जो प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म0प्र0 भोपाल/ मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्वालियर परिक्षेत्र ग्वालियर के यहॉ उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत होंगे । लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अन्य परिक्षेत्रों में पंजीकृत भू– जलविद भी निविदा ले सकेगें, किन्तु उन्हें कार्य स्वीकृति पश्चात ग्वालियर परिक्षेत्र में पंजीकरण करना होगा । उक्त कार्य हेतु प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म0प्र0 भोपाल द्वारा दिनांक 5–4–2012 से जारी एस0ओ0आर0 की दरें मान्य होंगी।

ग्रुप क.	कार्य का विवरण	मात्रा	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र की कीमत	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
	पन्ना जिले के ग्रामों में पेयजल स्रोत हेतु भूजल सर्वेक्षण यंत्र द्वारा भूजल सर्वेक्षण कार्य मशीन परिवहन, आना. जाना मजदूरी आदि व्यय सहित					
पी–1	विकासखंड पन्ना	100	1.40	2800.00	1000.00	तीन माह वर्षाकाल छोडकर
ए–1	विकास खंड अजयगढ	100	1.40	2800.00	1000.00	तदैव
जी–1	विकास खंड गुनौर	100	1.40	2800.00	1000.00	तदैव
डब्लू–1	विकास खंड पवई	100	1.40	2800.00	1000.00	तदैव
एस–1	विकास खंड शाहनगर	100	1.40	2800.00	1000.00	तदैव

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड
पन्ना, (म0प्र0)

<u>अन्य शर्ते</u> :—

1. निविदा प्रपत्र डाक से मंगाने पर रुपए 100.00 अतिरिक्त देना होगा । डाक से भेजे गए निविदा प्रपत्र विलंब से पहुंचने अथवा किसी भी त्रुटि के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।
2. कार्य स्थल देखने हेतु इच्छुक व्यक्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा संबंधित सहायक यंत्री से संपर्क स्थापित कर सकते हैं ।
3. दर्शाई गई संख्याएं अनुमानित हैं तथा ठेके की अवधि में उनकी संख्या किसी भी सीमा तक परिवर्तित हो सकती हैं, जिस हेतु ठेकेदार का कोई भी तथ्य मान्य नहीं होगा ।
4. धरोहर राशि एफ.डी.आर. के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक की मान्य होगी, जो कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड पन्ना, म0प्र0 के नाम से होना चाहिए । पूर्व से जमा एफ.डी.आर. समायोजित नहीं की जावेगी । कोई भी निविदा बिना बयाने की राशि के खोली नहीं जावेगी ।
5. प्रस्तुत की गई निविदा 120 दिनों के लिए मान्य होगी ।
6. सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि किसी भी निविदा को बिना कारण बनाए स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं ।
7. रेसिस्टीविटी सर्वे की निविदा दरें प्रति ग्राम एक सफल "साइडिंग" के आधार पर प्राप्त की जावेगी, चाहे उसके लिए निविदाकार को इस ग्राम में कितनी ही "साइटिंग" लेनी पड़ें ।
8. सर्वेक्षण हेतु एजेंसी को स्वयं का वाहन उपयोग करना होगा । किसी भी वाहन का अलग से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा ।
9. भूजल सर्वेक्षण कार्य हेतु विद्युत रेसिस्टिविटी मीटर चेक करना आवश्यक होगा ।
10. एजेंसी को विभाग में पंजीकृत भूजल विद का प्रमाण पत्र देना होगा ।
11. कार्य करने के उपरांत सर्वेक्षण रिपोर्ट 7 दिवस के अंदर सी.एस.आर. के एनेक्सर 3 में हस्ताक्षर सहित 3 प्रतियों में देना आव यक होगा ।
12. कार्य की सफलता अथवा असफलता के आधार पर कार्य कम अथवा अधिक किया जावेगा । इसमें एजेंसी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा ।
13. यह कार्य निर्धारित अवधि में समय—सीमा में करना होगा ।
14. 10 प्रतिशत से अधिक असफल कार्य पाए जाने पर संबंधित भूजल विद का विभाग में पंजीयन निरस्त किया जावेगा । असफल नलकूप वहीं माना जावेगा जिसकी आवक क्षमता 900 ली0 प्रति घंटे से कम पाई जावेगी ।
15. नलकूप असफल होने की स्थिति में उक्त प्वाइंट के रेसिस्टिविटी सर्वे का भुगतान नहीं किया जावेगा ।
16. इस कार्य हेतु प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग म0प्र0 भोपाल द्वारा जारी नलकूप खनन के सी0एस0आर0 जो दिनांक 5.4.2012 से प्रभावशील है, आज दिनांक तक जारी संशोधनों सहित लागू होगा एवं सर्वेक्षण हेतु सी0एस0आर0 में वर्णित प्रकिया एवं मापदण्ड लागू होगें ।
17. सर्वेक्षण कार्य करने का एवं स्थल चयन का ग्राम सरपंच का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
18. सर्वेक्षण करते समय का फोटोग्राफ लेकर रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करना होगा । फोटोग्राफ में सर्वे मशीन, सर्वेयर, एवं ग्रामवासी, स्पष्ट रूप से दिखना चाहिये । फोटोग्राफ का अलग से कोई भुगतान नही किया जावेगा ।
19. म0प्र0 भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल भोपाल के निर्देशानुसार 1 प्रतिशत उपकर ठेकेदार के देयक से काटा जावेगा ।
20. वर्ष 2011—12 का आयुकर चुकता प्रमाण पत्र, पेन कार्ड एवं टिन नम्बर की प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक होगा ।

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड
पन्ना, (म0प्र0)